रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1992/आषाढ़ 5, 1914
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1992/ASADHA 5, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 21—आई टी सी (पी एन)/1992—97

नई दिल्ली, 26 जून, 1992

फा.सं. आई पी सं/4/5(126)/85—88.—वाणिज्य मंत्रालय का सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पीएन)/92-97 दिनांक 31 मार्च, 1992 के अंतर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। यात्री कार और आटोमोबाइल वाहन नीति के अध्याय पन्द्रह में आयातों का निषेधात्मक सूची में शामिल हैं। इस सार्वजनिक सूचना में उन शर्तों का उल्लेख है जिनके अन्तर्गत ऐसे वाहन आयात किए जा सकते हैं।

2. इस सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट पात्र आयातकों श्रेणियों द्वारा यात्री कारों और आटोमोबाइल वाहनों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बिना लाइसेंस के किया जा सकता है :—

(1) वाहन के लिए भुगतान विदेश में किया जाए तथा ऐसे भुगतान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत से विदेशी मुद्रा का किसी प्रकार प्रेषण शामिल न हो;

(2) कस्टम ड्यूटी का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए जब तक कि इस सार्वजनिक सूचना में आयातक के किसी विशेष श्रेणी के मामले में स्पष्ट रूप में छूट न दी गई हो;

(3) इस सार्वजनिक सूचना में पात्र आयातकों की प्रत्येक श्रेणी के मद्दे विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हों; और

(4) भारत में स्थायी आवास हेतु लौटने वाले आयातकों के मामले में कार की निकासी के समय सीमाशुल्क विभाग को इस आशय की एक घोषणा दी जाए।

क. स्थायी आवास हेतु भारत आने वाले भारतीय राष्ट्रिक या भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक ।

(क) एक यात्री कार, जिसके इंजन का आकार चार सिलिण्डरों से अधिक का न हो और जिसमें 1600 सी.सी. शामिल न हो, के आयात की अनुमति है, चाहे कार नई हो या पुरानी। अन्त में एक यात्री कार के आयात की भी अनुमति है बशर्ते कि वह कार आयातक के भारत लौटने से पहले एक से अधिक वर्ष तक उसके इस्तेमाल में रही हो ।

(ख) आयातक स्थायी आवास हेतु भारत आने के पहले कम से कम दो वर्षों की अवधि तक लगातार विदेश में ठहरा हो ।

(ग) उसके भारत लौटने के पहले कार का भुगतान विदेश में कर दिया जाए ।

(घ) यदि आयातक भारत से बाहर अपने आवास को फिर बदलता है तो वह इस नीति के अन्तर्गत पिछले वाहन के आयात की तारीख से कम से कम पांच वर्षों की अवधि के बाद ही दूसरा कार आयात करने का हकदार होगा ।

(ङ) वाहन रखने की अवधि के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के आयातक भारत में वापस आने के बाद खुले बाजार में कार को बेचने के लिए स्वतंत्र है ।

(च) अन्य प्रकार के आटोमोबाइल वाहन के आयात की अनुमति मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा गुण-दोष के आधार पर दी जा सकती है ।

ख. भारतीय राष्ट्रिकों से विवाहित विदेशी राष्ट्रिक (भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित)

(क) एक यात्री कार, जिसके इंजन का आकार चार सिलिण्डरों से अधिक का न हो और जिसमें 1600 सी.सी. शामिल नहीं है, के आयात की अनुमति है, चाहे कार नई हो या पुरानी। अंत में एक यात्री कार के आयात की भी अनुमति है बशर्ते कि वह कार आयातक के भारत लौटने से पहले एक से अधिक वर्ष तक उसके इस्तेमाल में रही हो ।

(ख) आयातक अर्थात् विदेशी राष्ट्रिक (भारतीय मूल के व्यक्ति सहित) भारत में स्थायी आवास हेतु आ रहा हो ।

(ग) माता पिता द्वारा आयातक को वह कार उसकी शादी के एक वर्ष के भीतर उपहार में दी गई हो ।

(घ) वाहन रखने की अवधि के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के आयातक भारत में वापस आने के बाद खुले बाजार में कार को बेचने के लिए स्वतंत्र है ।

ग. भारत में कार्यरत विदेशी राष्ट्रिक

(क) भारत में आयातक के नियोजन, कार्यभार या प्रवास की संभावी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) एक वाहन के आयात की अनुमति है ।

(ग) यदि आयातक वाहन को बेचना चाहता है तो यह वाहन के पुनः निर्यात या भारतीय राज्य व्यापार निगम या इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित ग, घ, ङ और च किसी भी श्रेणी के दायरे में आने वाले किसी पात्र आयातक को बेचने की शर्तों के अध्यधीन होगा ।

(घ) उपर्युक्त (ग) उल्लिखित शर्तों के अनुसार पिछले वाहन को बेचने के बाद एक वाहन का बाद में आयात किया जा सकता है बशर्ते कि इन दो अनुवर्ती आयातों के बीच की न्यूनतम अवधि पांच वर्षों की हो ।

घ. भारत में स्थापित विदेशी फर्मों, कम्पनियों और संस्थाओं (निगमित या अन्यथा) की शाखाएं/कार्यालय

(क) भारत में स्थापित विदेशी फर्मों, कम्पनियों और संस्थाओं (निगमित या अन्यथा) की शाखाएं/कार्यालय तीन वाहनों का आयात कर सकते है ।

(ख) यदि आयातक वाहन को बेचना चाहता है तो यह वाहन के पुनः निर्यात या भारतीय राज्य व्यापार निगम या इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित ग, घ, ङ और च किसी भी श्रेणी के दायरे में आने वाले किसी पात्र आयातक को बेचने की शर्तों के अध्यधीन होगा ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पिछले वाहन को बेचने के बाद एक वाहन का बाद में आयात किया जा सकता है बशर्ते कि किसी वाहन के दो अनुवर्ती आयातों के बीच की न्यूनतम अवधि पांच वर्षों की हो ।

ङ 25 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी भागीदारी वाली भारत में निगमित कम्पनियां

(क) भारतीय कम्पनी तीन वाहनों का आयात कर सकती है ।

(ख) वाहन के लिए भुगतान तथा साथ ही विदेशी मुद्रा में कस्टम ड्यूटी का भुगतान भारतीय कम्पनी में इक्विटी धारक विदेशी कम्पनी द्वारा किया जाए ।

(ग) यदि भारतीय कम्पनी वाहन को बेचना चाहती है तो वह वाहन के पुनः निर्यात या भारतीय राज्य व्यापार निगम या सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित ग, घ, ङ और च किसी एक श्रेणी के दायरे में आने वाले किसी पात्र आयातक को बेचने की शर्त पर अध्यधीन होगा ।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित शर्त के अनुसार पिछले वाहन के बेचने के बाद किसी वाहन का बाद में आयात किया जा सकता है बशर्ते कि एक वाहन के अनुवर्ती आयातों के बीच की न्यूनतम अवधि पांच वर्षों की हो ।

ब. विदेशी समाचार एजेंसियों के मान्यता प्राप्त पत्रकार/संवाददाता ।

(क) आयातक के पास पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र होना चाहिए ।

(ख) एक वाहन के आयात की अनुमति है ।

(ग) यदि आयातक वाहन को बेचना चाहता है तो वह बिक्री वाहन के पुनः निर्यात की शर्त के अधीन होगी या भारत के राज्य व्यापार निगम को या प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित श्रेणी ग, घ, ङ, और च में से किसी एक में शामिल पात्र आयातक को की जा सकती है ।

(घ) बाद में किसी वाहन का आयात ऊपर (ग) में उल्लिखित शर्त के अनुसार पहले वाहन की बिक्री के बाद किया जा सकता है, बशर्ते कि दो क्रमिक आयातों के बीच न्यूनतम अन्तराल 5 वर्ष की अवधि का हो ।

छ. विदेश में ठेके पूरे करने वाली भारतीय फर्म

(क) वाहनों का आयात परियोजना के पर्याप्त पूर्ण हो जाने पर/विदेश में कार्यालय बंद होने पर इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि विदेश में ठेके के निष्पादन के लिए वाहनों की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई अनुमति दिखाते हुए अनुमोदन पत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(ख) वाहन विदेश में फर्म/कम्पनी द्वारा कम से कम एक वर्ष प्रयोग में रखा जाना चाहिए ।

(ग) भारत में वाहन के आयात की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक आयातक द्वारा वाहन किसी भी तरीके से न तो बेचा, न हस्तान्तरित किया जाएगा या निपटाया जाएगा । यदि आयातक इस अवधि के भीतर वाहन को बेचना चाहता है तो वह इसे राज्य व्यापार निगम या प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित श्रेणी ग, घ, ङ, और च में से किसी एक में शामिल पात्र आयातक को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा ।

ज. धर्मार्थ और मिशनरी संस्थान

(क) उपयोगिता वैन, ऐम्बुलेंस, स्टेशन वैगन, जीप, मिनी बस (यात्रियों को ले जाने वाली कारों को छोड़कर) जैसे वाहनों की उपहार के रूप में आयात की अनुमति तभी दी जायेगी बशर्ते कि आयातक एक संस्थापित संस्था के रूप में हो और वह समुदाय के सामान्य हित के लिये कार्य कर रहा हो, और यह कि वह विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्रस्तुत करे ।

(ख) सीमाशुल्क की अदायगी भारतीय रुपये में की जा सकती है ।

(ग) भारत में वाहन के आयात किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक आयातक वाहन को नहीं बेचेगा, न अन्तरण करेगा अथवा किसी भी रूप में इसका निपटान नहीं करेगा । यदि आयातक इस अवधि के दौरान वाहन का निपटान करना चाहता है तो वह इसे भारतीय राज्य व्यापार निगम अथवा किसी पात्र आयातक को बेच सकता है जो इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित किसी भी ग, घ, ङ और च श्रेणी में आता हो ।

झ. विदेशी सरकारों के अवैतनिक वाणिज्यदूत

(क) विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर यात्री कार के आयात की अनुमति दी गई है बशर्ते कि कार की कीमत जिसमें भाड़ा और बीमा भी शामिल है, विदेशी सरकार द्वारा वहन की जाये और आवेदक द्वारा आयात के समय सीमाशुल्क का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाये ।

(ख) आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद दूसरी कार के आयात की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि पहले वाले वाहन का पुनः निर्यात किया जाए अथवा राज्य व्यापार निगम को या इस सार्वजनिक सूचना में लिखित किसी भी ग, घ, ङ और च श्रेणी में शामिल किसी पात्र आयातक को इसकी बिक्री की जाए ।

3. देश में वाहन का आयात किये जाने पर इसे आयातक के नाम में रजिस्टर किया जायेगा । आयातक, श्रेणी क और ख को छोड़कर, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में वाहन के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिये आंके गये सीमाशुल्क के समकक्ष राशि का निर्धारित प्रोफार्मा में एक बाण्ड भरेगा जिसमें आयात के लिये लागू शर्तों को पूरा करने की वचनबद्धता होगी ।

4. यदि आयातक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी हों जो विदेश में भारतीय दूतावासों/हाई कमीशन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के

विदेश में स्थित कार्यालयों में नियुक्त हों तो वे भारतीय रुपये में सीमाशुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उनके मामले में आयात करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वाहन की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इस सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों में मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के द्वारा गुणों के आधार पर ढील दी जा सकती है।

6. यह लोकहित में जारी किया गया है।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 21-ITC(PN)/92—97

New Delhi, the 26th June, 1992

F. No. IPC/4,5(126)/85-88.—Attention is invited to the Export and Import Policy April 1992—March, 1997 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/92-97 dated the 31st March, 1992. Passenger cars and automobile vehicles are included in the Negative List of Imports in Chapter XV of the Policy. This Public Notice specifies the conditions under which such vehicles can be imported.

2. Import of passenger cars and automobile vehicles may be made without a licence by the categories of eligible importers specified in this Public Notice subject to the following condtions:—

(i) the payment for the vehicle is made abroad and such payment does not involve, directly or indirectly, any remittance of foreign exchange from India;

(ii) the payment of the customs duty is made in foreign exchange, unless expressly exempted in the case of any particular category of importer in this Public Notice;

(iii) the conditions specified against each category of eligible importers in this Public Notice are fulfilled; and

(iv) in the case of those importers returning to India for payment settlement, a declaration to that effect is given to the Customs at the time of the clearance of the car.

A. Indian nationals or foreign nationals of Indian origin coming to India for permanent settlement.

(a) Import of one passenger car with engine size not exceeding four cylinders and not exceeding 1600 c.c. is permitted, whether the car is new or old. Alternatively, import of one passenger car is also permitted provided the car has been in the use of the importer for more than a year prior to his return to India.

(b) The importer has stayed abroad continuously for a period of at least two years prior to his coming to India for permanent settlement.

(c) The payment for the car is made before his return to India.

(d) If the importer transfers his residence out of India again, he will be entitled to import another car under this Policy only after a minimum period of five years from the date of importation of the previous vehicle.

(e) The importer is free to sell the car in the open market after his return to India without any restriction as regards the period of retention of the vehicles.

(f) Import of any other type of automobile vehicle may be permitted by the Chief Controller of Imports & Exports on merits.

B. Foreign Nationals (including persons of Indian origin) married to Indian Nationals.

(a) Import of one passenger car with engine size not exceeding four cylinders and not exceeding 1600 c.c. is permitted, whether the car is new or old. Alternatively, import of one passenger car is also permitted provided the car has been in the use of the importer for more than a year prior to his return to India.

(b) The importer, namely the foreign national (including person of Indian origin), is coming to India for recruitment settlement.

(c) The car has been gifted to the importer by the parents within one year of the marriage.

(d) The importer is free to sell the car in the open market after his or her return to India without any restriction as regards the period of retention of the vehicle.

C. Foreign nationals working in India

(a) The contract period for the employment, assignment or stay of the importer in India shall not be less than one year.

(b) Import of one vehicle is permitted

(c) In case the importer wants to dispose of the vehicle, it will be subject to the condition of re-export of the vehicle or sale to the State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by any of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

(d) Subseuent import of a vehicle may be made after the disposal of the previous vehicle in accordance with the condition mentioned in (c) above, provided there is a minimum period of five years between two successive imoprts.

D. Branches/offices of foreign firms, companies and Institutions (corporate or otherwise) established in India.

(a) Branches/offices of foreign firms, companies and instituions (corporate or otherwise) established in India may import upto three vehicles.

(b) In case the importer wants to dispose of the vehilce, it will be subject to the condition of reexport of the vehicle or sale to the State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by any one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

(c) Subsequent import of a vehicle may be made after the disposal of the previous vehicle in accordance with the condition mentioned in (b) above, provided there is a minimum period of five years between two successive imports of a vehicle.

E. Companies incorporated in India having foreign equity participation of more than 25%.

(a) The Indian company may import upto three vehicles.

(b) The payment for the vehicle as well as the payment of the customs duty in foreign exchange are made by the foreign company holding equity in the Indian company.

(c) In case the Indian company wants to dispose of the vehicle, it will be subject to the condition of re-export of the vehicle or sale to the State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

(c) Subsequent import of a vehicle may be made after the disposal of the previous vehicle in accordance with the condition mentioned in (c) above, provided there is a minimum period of five years between two successive imports of a vehicle.

F. Accredited journalists/correspondence of foreign news agencies.

(a) The importer should have the Accedition Certificate from the Press Information Bureau, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.

(b) Import of one vehicle is permitted.

(c) In case the importer wants to dispose of the vehicle, it will be subject to the condition of re-export of the vehicle or sale to the State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by any one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

(d) Subsequent import of a vehicle may be made after the disposal of the previous vehicle in accordance with the condition mentioned in (c) above, provided there is a minimum period of five years between two successive imports.

G. Indian firms executing contracts abroad.

(a) Import of vehicles may be made after substantial completion of the project winding up of the foreign office, subject to the production of a letter of approval from the Reserve Bank of India showing the permission of the Reserve Bank of India for the purchase of the vehicles abroad for the execution of the contract.

(b) The vehicle should have been in the use of the firm company abroad for atleast one year.

(c) The vehicle shall not be sold, transferred or disposed of in any manner by the importer for a period of five years from the date of importation of the vehicle into India. If the importer wants to dispose of the vhicle within this period, he shall be free to sell it to the State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by any one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

H. Charitable and Missionary Institutions.

(a) Import of vehicles such as utility vans, ambulances, station wagons, jeeps, mini-buses (excluding passenger cars) is permitted as gift, subject to the condition that the importer is an established institution and is functioning for the common benefit of the community, and subject further to production of necessary clearance under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

(b) Payment of customs duty may be made in Indian Rupees.

(c) The vehicle shall not be sold, transferred or disposed of in any manner by the importer for a period of five years from the date of importation of the vehicle into India. If the importer wants to dispose of the vehicle within this period, he shall be free to sell it to State Trading Corporation of India or to an eligible importer covered by any one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

I. Honorary Consuls of Foreign Governments.

(a) Import of one passenger car is permitted on the recommendation of the Ministry of External Affairs provided the cost of the car, including freight and insurance, is borne by the foreign Government and the customs duty is paid by the applicant in Indian Rupees at the time of import.

(b) Import of a second car will be permitted after a period of five years from the date of importation of the first car subject to the condition of re-export of the previous vehicle or its sale to the State Trading Corporation of India or an eligible importer covered by any one of the categories C, D, E and F mentioned in this Public Notice.

3. On the import of the vehicle into the country, it should be registered in the name of the importer. The importer, except those covered by Categories A and B, shall execute a bond in the prescribed preforma for a amount equal to Customs assessed c.i.f. value of the vehicle in favour of the President of India at the regional licensing office concerned of the Chief Controller of Imports & Exports, undertaking to fulfil the conditions applicable to import. The bond shall be valid for a period of five years.

4. If the importers are employees of the Central Government, State Government or public sector undertakings posted in Indian Embassies/Hhigh Commissions abroad or in foreign offices of public sector undertakings, they may make the payment of the Customs duty in Indian Rupees. In their case, the sale of the vehicle will not be permitted for a period of two years from the date of importation.

5. The provisions of this Public Notice may be relaxed on merits by the Chief Controller of Imports and Exports.

6. This issues in public interest.

D. R MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

1633 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992